



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

श्री कोशायम भद्रनाथ,
हास जयदया द्यूकेश्वरन अकरनी,
वाइसि।

क्रमक: शैक्षणिक द्वितीय/2012/अर-380/350

दिनांक: 4-10-2012

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयवस्तुगत आपके पत्र दिनांक 28.06.2012 के सन्दर्भ में वांछित सूचना निम्न प्रकार है:-

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	बोर्ड ऑफ़ सेक्युलरी एज्युकेशन मध्यप्रदेश, ग्वाटियर द्वारा चलीये इई स्कूल एवं इन्टरमिडियट विद्यापी आउके विश्वविद्यालय में प्रवेश के पात्र है अथवा नही।	जी हां, बोर्ड ऑफ़ सेक्युलरी एज्युकेशन, मध्यप्रदेश, ग्वाटियर द्वारा चलीये इई स्कूल एवं इन्टरमिडियट विद्यापी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश के पात्र है।

भवदीय
कुलसचिव